

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 87 / 2026

जय प्रकाश

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, लखनऊ एवं 5 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – ओंकार नाथ तिवारी, अखण्ड प्रताप वर्मा

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मोहन सिंह

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ओंकार नाथ तिवारी और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विकास राय को सुना गया।
2. जनहित में दायर इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने विपक्षी दलों को ग्राम-सैलखा, परगना-अल्देमऊ, तहसील-जयसिंहपुर, सुल्तानपुर में स्थित सार्वजनिक उपयोग की भूमि, प्लॉट संख्या 240 (क्षेत्रफल 0.1010 हेक्टेयर) और 241 (क्षेत्रफल 0.0700 हेक्टेयर) पर किए गए अतिक्रमण को हटाने का निर्देश जारी करने की मांग की है।
3. तहसीलदार-जयसिंहपुर, सुल्तानपुर द्वारा प्रदान किए गए लिखित निर्देशों के आधार पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने सूचित किया है कि स्थानीय निरीक्षण के दौरान गाटा संख्या 240 (क्षेत्रफल 0.1010 हेक्टेयर) पर कुछ अतिक्रमण पाया गया है, जिसके संबंध में अतिक्रमण हटाने के लिए उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत वाद संख्या टी202604680700975 में तहसीलदार, जयसिंहपुर, सुल्तानपुर के न्यायालय में पहले ही कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। अन्य भूमि गाटा संख्या 241 (क्षेत्रफल 0.0700 हेक्टेयर) पर कोई

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अतिक्रमण नहीं पाया गया है।

4. तदनुसार, इस निर्देश के साथ इस याचिका को निस्तारित किया जाता है कि उपरोक्त वाद संख्या टी202604680700975 में उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत अतिक्रमण हटाने के लिए प्रारंभ की गई कार्यवाही को, किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, विधि के अनुरूप तत्परतापूर्वक संपन्न किया जाए।

13 फरवरी, 2026

अमित के

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)